निदेशालय,प्राविधिक शिक्षा,उत्तराखण्ड,श्रीनगर,गढवाल

निविदा संख्या– 1644/स्टोर/टैक्सी हायर/2022–23 दिनांक 09–06–2022।

:: निविदा प्रपत्र ::

निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड़ श्रीनगर (गढ़वाल) (मासिक किराये के आधार पर) में टैक्सी वाहन हेतु निविदा संख्या–1644/स्टोर/टैक्सी हायर/2022–23 दिनांक 09–06–2022 के आधार पर निविदा आमंत्रित करता है, जिसे www.ukdte.in से देखा और डॉउनलोड (View & Download) किया जा सकता है।

1– टैक्सी वाहन (चालक सहित) मासिक किराये के आधार पर लिये जाने हेतु निविदा का विक्रय, जमा तथा धरोहर राशि संबंधी विवरण :–

क्र0 सं0	विवरण	निर्धारित अवधि/मूल्य
1	निविदा का मूल्य (Non Refundable in the form of draft in favour of ' Director, Technical Education, Srinagar (Garhwal) Uttarakhand)'	Rs. 500.00 + 18% GST = Rs. 590.00
2	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान	Date 28.06.2022 Time 3.00 PM Place - Director of Technical Education Srinagar (Garhwal) Uttarakhand.
3	निविदा (Technical Bid) खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	29.06.2022 Time 3.00 PM Place-Director of Technical Education Srinagar (Garhwal) Uttarakhand.
4	Financial Bid (यदि फर्म की Technical Bid स्वीकृत कर ली गयी हो, के उपरान्त ही Financial Bid खोली जायेगी)	
5	अर्नेस्ट मनी/धरोहर राशि– NSC/FDR SHOULD BE PLEDGE IN FAVOUR OF "Director, Technical Education Sringar Garhwal Uttarakhand" OR F.D.R. PERIOD SHOULD NOT LESS THAN THIRTY SIX MONTHS (3 Years).	Rs. 50,000/- (Fifty Thousand Only)

2– टैक्सी वाहन का विवरण एवं प्रकार :–

S.No.	Vehicle Type	Model of Vehicle
1	A-Scorpio (Diesel) B- Innova (Diesel) C- Dzire (Diesel) D- Bolero (Diesel)	Model of vehicle should be after 2020

3– निविदा जमा किया जाना :– निविदा दो लिफाफा प्रणाली आधारित होगी। प्रथम लिफाफे में **"तकनीकी निविदा"** एवं दूसरे लिफाफे में **"वित्तीय निविदा"** सीलबन्द की जायेगी :–

(a) तकनीकी निविदा के लिफाफे में संलग्न–1 प्रारूप के अनुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
(b) वित्तीय निविदा के लिफाफे में किराये की दरें संलग्न–2 प्रारूप के अनुसार जमा करनी होगी।
(c) उपरोक्त तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफों को एक अलग लिफाफे में सील कर के कार्यालय निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड़ श्रीनगर (गढ़वाल) के स्टोर अनुभाग में जमा किया जायेगा।
(d) यदि संलग्न–1 प्रारूप के अनुसार दस्तावेज तकनीकी लिफाफे में जमा नहीं किये जाते है तो संबंधित एजेंसी की वित्तीय निविदा खोली नही जायेगी, तथा उसकी निविदा रद्द कर दी जायेगी।

4– निविदा दर आदि अंकित किया जाना :–

(a) निविदा में उल्लिखित सूचना/मासिक किराया दर स्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए। निविदा में किसी प्रकार की Over Writing Correction/संशोधन मान्य नहीं होगा।
(b) वाहन के मासिक किराये के अतिरिक्त यदि कोई देय धनराशि हो तो टैक्स इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
(c) एक बाद अनुबन्ध सम्पन्न हो जाने के उपरान्त अनुबन्ध की अवधि में किराये की दर अथवा शर्तो में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
(d) वित्तीय निविदा में किराये की दर पूर्ण रूपयों में अंकित की जायेगी।

5. <u>निविदा की वैधता</u> :– निविदा जमा हो जाने के उपरान्त दी गयी दरों की वैधता 1 वर्ष की अवधि तक मान्य होंगी, जिसे दोनों पक्षों सेवा प्रदाता एवं सेवा प्राप्तकर्ता के मध्य आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

6. <u>निविदाओं की जाँच</u> :– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर गढ़वाल, द्वारा गठित समिति प्रत्येक निविदा एवं उसके साथ प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजों की जाँच, यथास्थान हस्ताक्षर होने, निविदा के नियम एवं शर्तो के पूर्ण करने की जाँच करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही निविदा प्रक्रिया में शामिल किये जाने अथवा अस्वीकार किये जाने की घोषणा के लिए अधिकृत होगी एवं उसका निर्णय अंन्तिम होगा।

7. <u>दर एवं अनुबन्ध की स्वीकृति</u> :–

(a) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर गढ़वाल, द्वारा गठित समिति द्वारा निविदाओं एवं उसके साथ प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजों की जाँच, निविदा के नियम एवं शर्तो के पूर्ण करने के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात निविदा में अंकित की गयी दरों के न्यूनतम पाये जाने के आधार पर निविदा की स्वीकृति की घोषणा की जायेगी। समिति एजेंसी को अनुबन्धित करने हेतु अधिकृत होगी एवं उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(b) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर गढ़वाल, को किसी निविदा अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार करने, अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को बिना कारण बताये निरस्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

(c) न्यूनतम दरों के आधार पर निविदा स्वीकृति की घोषणा एवं एजेंसी को अनुबन्धित करने की कार्यवाही की जायेगी एवं उक्त अवधि में एजेंसी/फर्म निविदा की शर्तो से आबद्ध होगी।

8. <u>न्यायिक स्थितिः–</u> किसी प्रकार का वाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र श्रीनगर,गढवाल उत्तराखण्ड, ही मान्य होगा।

9. <u>निविदा का प्रेषणः–</u> निविदा के मुख्य लिफाफे के बाहर <u>निविदा सं0– ____________</u>तथा <u>अन्तिम तिथि ____________</u>किराये के वाहन हेतु निविदा अंकित करनी होगी तथा निविदा दाता का स्पष्ट एवं पूर्ण पता अंकित होना चाहिए।

संलग्न– <u>Annexure-1 & 2</u>

स्थानः श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड
दिनांकः

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड
श्रीनगर गढ़वाल।

तकनीकी निविदा हेतु वांछित अभिलेख/प्रपत्र

क्र0सं0	तकनीकी निविदा हेतु वांछित अभिलेख/प्रपत्र	पेज सं0	
		से	तक
1.	रू0 50000/– (रूपया पचास हजार मात्र) की धरोहर राशि जो एनएससी/एफडीआर/डिमांड ड्राफ्ट (मूल रूप में) के रूप में कम से कम तीन वर्ष अवधि का, जो कि ''निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड पेबल एट देहरादून'' के नाम से देय हो।		
2.	राजकीय कार्यालय को वाहन उपलब्ध कराने का अनुभव प्रमाण पत्र वांछनीय है।		
3.	फर्म/एजेन्सी/व्यक्ति का वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 वं 2020–21 (तीन वर्ष) का वार्षिक वित्तीय टर्न ओवर एवं इनकम टैक्स रिर्टन प्रमाण–पत्र। व्यक्ति की दशा मे मात्र इनकम टैक्स रिर्टन प्रमाणपत्र।		
4.	फर्म//एजेन्सी/व्यक्ति के सम्पर्क व्यक्ति (Contact Person) का विवरण संलग्नक–3 के अनुसार।		
5.	फर्म/एजेन्सी/व्यक्ति का पैन की सत्यापित प्रति।		
6.	फर्म/एजेन्सी/व्यक्ति का जी0एस0टी0एन0 प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।		
7.	वाहन के पंजीकरण प्रमाण (आर0सी0) की प्रमाणित प्रति।		
8.	निविदादाता द्वारा निविदा में दिये गये वाहन का वास्तविक बीमा (Insurance) प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।		
9.	निविदादाता द्वारा निविदा में दिये गये वाहन हेतु चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रामणत प्रति।		
10.	निविदादाता द्वारा निविदा में दिये गये वाहन के आर0टी0ओ0 द्वारा प्रदत्त फीटनेस प्रमाण–पत्र की प्रति।		

मैं/हम..फर्म/एजेन्सी...यह सत्यापित करता हूँ/करते है कि मेरे/हमारे द्वारा निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड श्रीनगर गढ़वाल द्वारा जारी निविदा सं0...................................... दिनांक......................... में अंकित सभी शर्तों को भली भॉति पढ़ लिया और समझ लिया है और इनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

दिनांकः–

निविदा कर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम–

पता–

मुहर–

Annexure-1- तकनीकी निविदा

टैक्सी वाहन मासिक भाड़े पर किराये पर लिये जाने से संबंधित तकनीकी निविदा की शर्ते–

1. उत्तराखण्ड परिक्षेत्र के ट्रेवेल एजेंसी को वरीयता दी जायेगी।
2. ट्रेवेल एजेंसी से वाहन (ड्राईवर की सेवाओं सहित) मासिक किराये की दर के आधार पर लिया जाना है।
3. ट्रेवेल एजेंसी को सर्विस जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड होना चाहिए तथा आयकर विभाग में पंजीकृत (PAN) होना अनिवार्य है।
4. वाहन के चालक को मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र में वाहन चलाने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए एवं आर0टी0ओ0 द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व जारी किया गया वैध व्यावसायिक हल्का/भारी वाहन चालक ड्राईविंग लाइसेंस धारी होना चाहिए।
5. वाहन मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में चलने हेतु पूर्ण रूप से फिट होना चाहिए। वाहनों आर0टी0ओ0 कार्यालय से नवीनतम फिटनेस प्रमाणपत्र, टैक्सी का वैध रजिस्ट्रेशन एवं वैध इश्योरेंस होना अनिवार्य है।
6. वाहन का मॉडल वर्ष 2020 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
7. फर्म को सील बन्द निविदा के साथ धरोहर राशि रू0 50000–00(रू0 पचास हजार मात्र) की बैक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर/ बैक गारंटी (03 वर्ष की अवधि हेतु) संलग्न करना अनिवार्य है। बैक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर/ बैक गारंटी को **'निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,उत्तराखण्ड'** के पक्ष में बन्धक होना चाहिए। धरोहर राशि का अन्य कोई विकल्प मान्य नहीं होगा।
8. कार्यालय द्वारा निर्धारित मासिक किराये का भुगतान ट्रेवेल एजेंसी को प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। बिल के साथ वाहन की लॉग बुक भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. वाहन में डीजल आदि एजेन्सी द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर गढ़वाल की आवश्यकतानुसार भरवाया जायेगा, निदेशालय के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त ही बिल के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
10. वाहन के सभी टायर–ट्यूब अच्छी स्थिति में होना चाहिए एवं एअरकण्डीशनर चालू हालत में होना चाहिए।
11. वाहन पूर्ण रूप से कार्यालय प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर गढ़वाल के नियंत्रण में रहेगा, परन्तु वाहन की सुरक्षा एवं रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी चालक/फर्म की होगी।
12. वाहन की सभी प्रकार की मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स तथा चालक का वेतन आदि के भुगतान की सम्मूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
13. वाहन के साथ चालक के व्यक्तिगत् दुर्घटना बीमा की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। तथा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर गढ़वाल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. वाहन चालक प्रतिदिन वाहन सहित अपनी उपस्थिति कार्यालय में देगा।
15. ड्यूटी समय के अतिरिक्त भी वाहन की आवश्यकता पड़ने पर एजेंसी द्वारा वाहन अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा
16. वाहन के साथ उपलब्ध कराये जा रहे वाहन चालक का व्यवहार एवं चाल–चलन अनुकूल/संतोषप्रद होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में एजेंसी को सूचित किये जाने पर अधिकतम 48 घण्टे के भीतर अन्य उपयुक्त वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में प्रतिदिन 1500 रू0 की पेनल्टी एजेंसी के ऊपर लगायी जायेगी।
17. यदि अनुबंध की अवधि में फर्म का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो अनुबंध की समय–सीमा बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
18. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।

19. कार्यालय/फर्म यदि अनुबन्ध की अवधि के बीच में ही अनुबन्ध समाप्त करना चाहते हैं तो न्यूनतम 30 दिन पूर्व प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर गढ़वाल को सूचित करना होगा।

20. अनुबन्ध अवधि मे चालक/वाहन उपलब्ध न होने की दशा में फर्म के बिल से रू0 1500/— (रु0 पन्द्रह सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी। एजेंसी को निविदा शर्तो का उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर एजेंसी द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है, इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी का जो भी निर्णय होगा, वह एजेंसी को मान्य होगा।

21. निविदा की उपरोक्त में से कोई शर्त एजेंसी/फर्म द्वारा पूर्ण नहीं करने की स्थिति में एजेंसी/फर्म की वित्तीय निविदा खोली नहीं जायेगी।

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा,उत्तराखण्ड
श्रीनगर गढ़वाल।

Documents to be attached with technical bid:-

1. Acceptance of all terms & conditions given in tender document by the Firm.
2. Copy of GST/PAN/TAN of the Firm.
3. Tender Fee Draft in Original.
4. IT Return for 2018-19, 2019-20 & 2020-21.
5. EMD in original.
6. Copy of Valid R.C. of Vehicle.
7. Copy of Valid Insurance policy of Vehicle.
8. Copy of Fitness certificate of Vehicle issued by RTO.
9. Copy of Valid Driving licence of the Driver.
10. Earnest money Bank Draft/FDR/Bank Guarantee in Original.

Annexure-2- तकनीकी निविदा

टैक्सी वाहन मासिक दरों पर किराये पर लगाने हेतु वित्तीय निविदाः

1. टैक्सी वाहन मासिक किराये आधार पर लगाने हेतु Annexure-1 में उल्लिखित सभी शर्ते हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता को पूर्णरूप से मान्य हैं। हम आश्वासन देते हैं कि हमारी एजेंसी Annexure-1 एवं अनुबन्ध पत्र के नियमों एवं शर्तो को पूर्ण रूप से समझ लिया है तथा नियम तथा शर्तों से आबद्ध रहेगी।

2. टैक्सी वाहन मासिक किराये के आधार पर सेवायें प्रदान करने हेतु (ड्राईवर सहित) किराया दर निम्नानुसार अंकित हैं–

S.No.	Vehicle Type	Registration Number of Vehicle	Model of Vehicle	Monthly rate in Rupees including driver	Tax/other charges (if any)
1	Scorpio (Diesel)				
2	Innova (Diesel)				
3	Dezire (Diesel)				
4	Bolero (Diesel)				

नोटः– डीजल का व्यय, वास्तविक व्यय तत्समय की दरों के आधार पर किया जायेगा।

3. Bank Draft/FDR/Bank Guarantee संख्याः...
.....

4. दिनांक.. धनराशि ....

5. जारी कर्ता पोस्ट आफिस/बैंक शाखा का नाम एवं पताः...
....

हस्ताक्षर.....................................
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सीलःएजेंसी/फर्म

GST;..
PAN:..

ANNEXURE–F

अनुबन्ध पत्र

AN AGREEMENT BETWEEN DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION UTTARAKHAND,
SRINAGAR GARHWAL (SERVICE TAKER) AND THE AGENCY. (SERVICE PROVIDER)

(To be Signed on Rs100/- Non-Judicial Stamp paper after the formal Letter).

यह समझौता ....माह की...तिथि को किया गया।

मध्य

सेवा प्राप्तकर्ता/निदेशालय,प्राविधिक शिक्षा,उत्तराखण्ड एक सरकारी संगठन है,जिसका कार्यालय,श्रीनगर,गढवाल में स्थित है (जिसे यहॉ सेवा प्राप्तकर्ता कहा गया है)।

तथा

....जिसका कार्यालय...में स्थित है तथा जिसे यहॉ सेवा प्रदाता कहा गया है।

निदेशालय,प्राविधिक शिक्षा,उत्तराखण्ड द्वारा शासकीय कार्यो हेतु सेवा प्रदाता से निम्नलिखित शर्तो के अधीन वाहन मासिक किराये पर लिया जा रहा है

1. सेवा प्रदाता द्वारा वाहन ड्राईवर की सेवाओं सहित मासिक भाड़ा की दर आधार पर लिया जायेगा।
2. वाहन चालक को मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र में वाहन चलाने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना होगा एवं आर0टी0ओ0 द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व जारी किया गया वैध व्यावसायिक हल्का/भारी वाहन चालक ड्राईविंग लाइसेंस धारी होना।
3. वाहन मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में चलने हेतु पूर्ण रूप से फिट होगा। वाहन आर0टी0ओ0 कार्यालय से नवीनतम फिटनेस प्रमाणपत्र, वैध रजिस्ट्रेशन, वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वैध इश्‍योरेंस अनिवार्य रुप से एजेंसी द्वारा कराया जायेगा।
4. सेवा प्रदाता द्वारा वर्ष 2020 से पूर्व का मॉडल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
5. सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा निर्धारित मासिक किराये का भुगतान ट्रेवेल एजेंसी को प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। बिल के साथ वाहन की लॉग बुक भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. वाहन में डीजल सेवा प्रदाता द्वारा आवश्यकतानुसार भरवाया जायेगा।
7. सेवा प्रदाता द्वारा वाहन के सभी टायर–ट्यूब अच्छी स्थिति में होगे एवं एअरकण्डीशनर चालू हालत में रखना होगा।
8. वाहन पूर्ण रूप से सेवा प्राप्तकर्ता के नियंत्रण में रहेगा, परन्तु वाहन की सुरक्षा एवं रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी चालक/ सेवा प्रदाता की होगी।
9. वाहन की सभी प्रकार की मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स तथा चालक का वेतन आदि के भुगतान की सम्मूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
10. वाहन के साथ चालक के व्यक्तिगत् दुर्घटना बीमा की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
11. वाहन चालक प्रतिदिन वाहन सहित अपनी उपस्थिति कार्यालय में देगा।
12. ड्यूटी समय के अतिरिक्त भी वाहन की आवश्यकता पड़ने पर सेवा प्रदाता द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।
13. वाहन के साथ उपलब्ध कराये जा रहे वाहन चालक का व्यवहार एवं चाल–चलन अनुकूल/संतोषप्रद होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में सेवा प्रदाता को सूचित किये जाने पर अधिकतम 48 घण्टे के भीतर अन्य उपयुक्त वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी।

14. यदि अनुबंध की अवधि में फर्म का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो अनुबंध की समय–सीमा बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

15. अनुबन्ध अवधि मे चालक/वाहन उपलब्ध न होने की दशा में सेवा प्रदाता के बिल से रू0 1500/– (रु0 पन्द्रह सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी। सेवा प्रदाता को निविदा शर्तो का उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर सेवा प्रदाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है, इस संबंध में निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड का जो भी निर्णय होगा, वह एजेंसी को मान्य होगा।

सेवा प्रदाता तथा निदेशालय,प्राविधिक शिक्षा,उत्तराखण्ड (सेवा प्राप्तकर्ता) की और से निम्नलिखित के बीच यह समझौता दिनॉक..........................माह............................वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया।

सेवा प्रदाता   सेवा प्राप्तकर्ता

गवाह   गवाह

1...   1..

2..   2..

(Please put the initials at each page)

Note-This Contract is to be Signed on Rs100/- Non-Judicial Stamp paper after LOA.